

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठारसीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर ए एस

80 / 2025 प्रा.पत्र / 2025

25.08.2025

तारीख निर्णय

09.10.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी निवारी वार्ड नं. 7 रतन शहर पोस्ट इस्लामपुर तह. व जिला झुन्झुनु राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीराम शेखावाटी पवित्र भोजनालय एनएच-52 मुण्डिया तह. निवाई जिला टोंक राज.। मोबाईल नं. 9928220285

2-मैसर्स श्रीराम शेखावाटी पवित्र भोजनालय एनएच-52 मुण्डिया तह. निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड-304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री शायर मल सैनी स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 09.10.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.06.2025 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स श्रीराम शेखावाटी पवित्र भोजनालय एनएच-52 मुण्डिया तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी अपने प्रतिष्ठान श्रीराम शेखावाटी पवित्र भोजनालय एनएच-52 मुण्डिया तह. निवाई जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी को अपना परिवय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु फ्रीज में एक गगोने में लगभग 10-12 किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी को फार्म नं. 5 ए में वारंटे नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शायर मल सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दही (मिश्रित दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिराकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एवं सुखी प्लारिस्टिक की शीश्या में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4453 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4453 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को घागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर ब्रिष्ठा एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/956 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2651/एक्ट/2025/2706 दिनांक 02.07.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नाटिस तलाव किया गया। अप्रार्थी श्री शायर मल सैनी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की गिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकृष्ट डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पारा से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य



आवेदक
[Signature]

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सामरतन साकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0